

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश गवालियर १५.पृ.४

निवारनी २५८-III-15



15-301

१. राज प्रताप झक्कु मुनाई प्रसाद पिता स्वर्गीय हीरालाल ब्र. पेशा छेती

२. चन्द्रमताप पिता स्वर्गीय हीरालाल ब्र. पेशा छेती

३. मुसम्मात फूलकुमारी विधवा गिरिजारामब्रा.

४. घनश्याम प्रसाद पितरान स्वर्गीय गिरिजाराम ब्रा.

५. लक्ष्मोकान्त

६. रमाकान्त

७. मानिन्द्र प्रसाद

८. एक दूसरी का पेशा छेती सभी निवासी ग्राम बरहट, तहसील वितरंगी, जिला

आज दिनांक १५.०१.८५ सिंगरौली १५.पृ.४

आवेदकगण

सिंगरौली कोटी रीवा

बनाम

१. श्रीमती दुर्घटिया विधवा पहनो जानकीराम ब्रा. साँकिन बरहट, थाना

व तहसील वितरंगी जिला सिंगरौली १५.पृ.४

अनावेदकगण

२. मध्य प्रदेश शासन

पुनरीक्षण विकल्प आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील वितरंगी, जिला सिंगरौली राजस्व प्रकरण १८५ अ-१९

४९ १९८६x८७ आदेश दिनांक ६.५.८७ जिसके द्वारा

ग्राम बरहट, तहसील वितरंगी जिला सिंगरौली

स्थित वादग्रत्त आराजी पुराना छतरा नम्बर १५६/१ के अंतर्गत अर्का २.०२३ हेठो के वावत् अनावेदिका क्र०।

के पक्ष में भूमित्वामी स्वतंत्र प्रदान किया गया है

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म.पृ.भू. रा.८८.१९५९

तपीति म.पृ.कृषि भूमि प्रयोजन के लिए उपयोग को जा रही खलरहित भूमि पर भूमित्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना ४ विशेष उच्चन्यायम

1984

११

११. राज प्रताप

(181)  
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश रवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रक्रमांक.....R. 258-III/15.....जिला.....संस्कारित

शम प्रशाप उक्त अनुड असाद.....विरुद्ध .....दुष्कृतिभा इगां

1	2	3
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री.....महेन्द्र लिख.....अधिवक्ता  द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ चायब तहसीलदार तहसील प्रतरंगी  के प्रकरण क्रमांक 18.5/अ-19(4)/1986-87.....में पारित  आदेश दिनांक 06.05.87.....के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी  संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50  सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण  कलेक्टर.....संस्कारित.....के न्यायालय को अंतरित किया  जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25.03.19.....को  कलेक्टर.....संस्कारित.....के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित  हो।</p>	

म  
सदस्य